फैक्स/ई-मेल
अतिमहत्वपूर्ण/ मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश
संख्या-रिट1650/छः-पु0-2-2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 18 अगस्त, 2017

विषयः- एफ0ए0एफ0ओ0 संख्या-478/2017 ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0, लखनऊ बनाम श्रीमती कनीज शकीना एवं 7 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के पारित निर्णयादेश दिनांक 12.07.2017 एवम् 01-08-2017 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 सं0-11801-11804/2005 जय प्रकाश बनाम नेशनल इंशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड में दिनांक 17.12.2009 को मोटर एक्सीडेन्ट पीडित के हितों की संरक्षा आदि का संज्ञान लेते हुए नीति निर्धारक निर्देश जारी किये है।

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त नीति निर्धारक निर्देशों का महत्वपूर्ण अंश निम्नवत है:-

8. The Director General of Police of each State is directed to instruct all Police Stations in his State to comply with the provisions of Section 158(6) of the Act. For this purpose, the following steps will have to be taken by the Station House Officers of the jurisdictional police stations:

(i) Accident Information Report in **Form No. 54** of the Central Motor Vehicle Rules,1989 (`AIR' for short) shall be submitted by the police (Station House Officer) to the jurisdictional Motor Vehicle Claims Tribunal, **within 30 days** of the registration of the FIR. In addition to the particulars required to be furnished in Form No. 54, the police should also collect and furnish the following additional particulars in the AIR to the Tribunal: (i) The age of the victims at the time of accident; (ii) The income of the victim; (iii) The names and ages of the dependent family members.

(ii) The AIR shall be accompanied by the attested copies of the FIR, site sketch/mahazar/photographs of the place of occurrence, driving licence of the driver, insurance policy (and if necessary, fitness certificate) of the vehicle and postmortem report (in case of death) or the Injury/Wound certificate (in the case of injuries). The names/addresses of injured or dependant family members of the deceased should also be furnished to the Tribunal.

(iii) Simultaneously, copy of the AIR with annexures thereto shall be furnished to the concerned insurance company to enable the Insurer to process the claim.

(iv) The police shall notify the first date of hearing fixed by the Tribunal to the victim (injured) or the family of the victim (in case of death) and the driver, owner and insurer. If so directed by the Tribunal, the police may secure their presence on the first date of hearing.

3- यह भी अवगत कराना है कि मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम से संबंधित एफ0ए0एफ0ओ0 संख्या-478/2017 ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0, लखनऊ बनाम श्रीमती कनीज शकीना एवं 7 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के पारित निर्णयादेश दिनांक 12.07.2017 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 158(6) का प्रभावी अनुपालन न होने का तथ्य भी प्रकाश में आया है।

4- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जनपदीय स्तर के अधिकारियों द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त नीतिगत दिशा निर्देशों क अनुपालन सुनिश्चित नही किया जा रहा है, जबकि इस संबंध में शासन के पत्र सं0-रिट-80/छः-2-2010, दिनांक 05 फरवरी, 2010 के क्रम में पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय उ0प्र0 द्वारा परिपत्र सं0-डीजी-दस-वि0प्र048/2010, दिनांक 05.03.2010 एवं पत्रांक सं0-डीजी-दस-वि0प्र042/2015, दिनांक 21.07.2015 निर्गत करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये थे।

5- प्रकरण में प्राप्त तथ्यों/वस्तुपरक समीक्षा/परीक्षण के उपरान्त यह देखा जा रहा है कि शासन एवम् पुलिस महानिदेशालय स्तर से निर्गत उक्त आदेशों के उपरान्त भी जनपदीय स्तर के अधिकारियों द्वारा **Motor Vehicle Claims Tribunal** में फार्म-54 प्रेषित किये जाने आदि कार्यों में पर्याप्त कार्यवाही नहीं की जा रही है, और न ही 30 दिवस की समयावधि का ही संज्ञान लिया जा रहा है। इस प्रकार की उदासीनता, कर्तव्यों में लापरवाही का द्योतक है।

6- अतः सम्यक विचारोपरान्त इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2009 तथा इसमें प्रतिपादित दिशा निर्देशों का अनुपालन प्रभावी रीति से सुनिश्चित करने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात अथवा मुख्यालय स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक स्तर का एक अधिकारी नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाय, जो प्रतिमाह जनपदों में हुई दुघर्टनाओं व उनके सापेक्ष दाखिल किये गये फार्म 54 के आंकडों की समीक्षा कर सभी जनपदों को आवश्यक निर्देश निर्गत करेगे तथा जहॉ पर लापरवाही बरती जा रही है, उनके विरूद्व कार्यवाही सुनिश्चित करायेगे। नोडल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगे कि उनके द्वारा की गयी प्रतिमाह समीक्षा के उपरान्त विश्लेषणात्मक टिप्पणी की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय और शासन स्तर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता है तो उसकी भी स्पष्ट संस्तुति की जाये। इसके अतिरिक्त 02 माह का एक सघन अभियान चलाकर पूर्व में प्रेषित नही किये गये फार्म 54 को मा0 मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण में दाखिल कराये जाये। इस अभियान की पाक्षिक समीक्षा भी नोडल अधिकारी द्वारा की जाय तथा इसकी प्रगति से शासन को अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को मा उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 सं0-11801-11804/2005 जय प्रकाश बनाम नेशनल इंशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2009 की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम, लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश ~~शासन~~ लखनऊ।
8. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0)।
9. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0)।
10. समस्त जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0)।
11. बेव मास्टर, गृह विभाग, उ0प्र0शासन कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।